2020/00226

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

कृष्णा बनाम नाथूलाल गोविन्दा

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	6/20 आज्ञा विस्तृत रूप से
	23.12.2020	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा हाजिर। अप्रार्थी क्र. सं. 2 नाथूलाल की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1. गोविन्दा की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश पारीक उपस्थित। प्रार्थी ने इजराय प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि दिनांक 04.07.2016 को पारित अंतिम डिक्री ~~की~~ के निर्णय एवं कुर्रेजात नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट में तरमीम नहीं हुयी अतः उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट में अंकन करवाया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ताओं ने जवाबदावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि उक्त बनवानी प्रकरण का न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की मौजूदगी में प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री जारी की गयी। और अंतिम डिक्री की पालना में ही अनुमोदित कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस अनुसार सम्बन्धित

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

2020/00226

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

कैलाश
नाथूलाल बनाम गोविन्दा
गोविन्दा

मुकदमा संख्या /वर्ष 6/20 : /20

क्र.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम की गयी है। अत: पालना होने के बाद इजराय प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा गया है इसलिये प्रार्थना-पत्र इजराय खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र, अप्रार्थीगण के जवाबदावे एवं पत्रावलीमय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 49/2015, 'नाथूलाल बनाम गोविन्दा' में पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' कैम्प में पेश होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण को सहमति प्रार्थना पत्र (विभाजन प्रस्ताव पर) पर सुना गया। तदनुसार ही न्यायालय द्वारा कुरेजात प्रस्ताव मंगवाए जाकर, कुरेजात रिपोर्ट	

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2.20/226

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	नाथूलाल बनाम गोविन्द आज्ञा विस्तृत रूप से
		पर उभयपक्ष को सुनने के पश्चात वादी का वाद दिनांक 04/07/2016 को निर्णित व अंतिम डिक्री किया गया। दिनांक 04/07/2016 को पारित निर्णय व डिक्री की पालना सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है। जो कि पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड्स से भी स्पष्ट है। उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज के साथ-साथ खाता व लगान अलग-अलग कायम किया जा चुका है। अत: अंतिम डिक्री की पालना में इस न्यायालय से कोई कार्यवाही शेष/अपेक्षित नहीं है। यद्यपि नक्शे में तरमीम के सम्बन्ध में प्रार्थी सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर सकता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र इजराय पोषणीय ना होने के कारण न्यायहित में खारिज किया जाता है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर में कम होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर